क्रम संख्या–58

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 ई0

चैत्र 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 103 / XXXVI(3) / 2015 / 24(1) / 2015

देहरादून, 31 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015"** पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2015)

{भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो।}

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का निरसन

2. उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम सं0 04 वर्ष 2015) की धारा 4 एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

धारा 5 का निरसन

3. उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम सं0 04 वर्ष 2015) की धारा 5 एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।